

असाधारण EXTRAORDINARY,

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii) PART II-Section 3-Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

मं० 105] नई बिल्लो, बुधवार, फरवरी 20, 1891/फाल्गुन 1, 1912 No. 105] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 20, 1991/PHALGUNA 1, 1912

इ.स. भाग में भिन्न पूष्ठ संख्या थी जाती है जिससे कि यह अरूग संकालन को रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पर्यायरण और वन मंत्रालय

(पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव विभाग)

तटीय क्षेत्रों को नटीय विनियम क्षेत्र घोषित करते हुए तथा तटीय विनियम क्षेत्र में गनिधिधियों को विनियमित करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) प्राधिनियम, 1986 की धारा 3(2)(5) और धारा 3(1) और पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5(3)(घ) के तहत ग्राधिसूचना। नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1991

का.इ.ग्. 114 (ग्र) :- जबकि तटीय क्षेत्रों की नटीय विनियम क्षेत्र (सी धारें: जेड) के रूप में घोषणा तथा सी घार जेड में उद्योगों, संचालनों और प्रक्रियाओं पर प्रतिबंध के विरुद्ध घापरितयां ध्रामंजिन करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) ध्रधिनियम, 1936 की धारा 3(1) और धारा 3(2)(5) के तहन एक घ्रधिसूचना का.घा.सं.-944 (ई) दिनांक 15 दिसम्बर, 1990 के खनुगार पारी की गई थी ;

और जबकि केन्द्रीय सरकार ने प्राप्त सभी ग्रागल्तियों पर समुचिन विचार किया है ;

ग्रत: ग्राब पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उप नियम (3) के खण्ड (घ) धारा प्रवस्त शक्तियों और उनकी ओर से प्राप्त ग्रन्थ गर्भा प्रधिकारों का प्रयोग करते हुए पारन सरकार एतद्वारा समुद्रों, घाटियों, मुद्रानों, विवेशिकाओं, नदियों, और पश्चजलों के तटीय भागों, जो ज्यार रेखा से 500 मीटर तक स्थल की ओर ज्यारीय किया से प्रभावित है तथा निम्न अवार रेखा और उच्च ज्वार रेखा के बीच की भूमि को तटीय विनियमन परिक्षेत्र के रूप में घोषित करती है और इस प्रश्निस्चना की तारीख से उक्त तटीय विनियमन क्षेत्र मे उद्योगों, संचालनों प्रथवा प्रक्रियाओं घादि की स्थापना और विस्तार पर निम्नलिखित प्रतिबंध लगाती है। इस प्रधिसुचना के प्रयोजनार्थ उच्च ज्वार रेखा को उस रेखा के रूप में परिभाषित किया जाएगा, जहां तक सर्वोदच्च उच्च ज्वार, सिंग ज्यार तक पहुचती है।

नोट: नदियों, खाड़ियों और पश्चजलों के मामले में प्रस्तावित वितियमन उच्च ज्वार रेखा से जितनी वूरी पर लागू होंगें, वह दूरी तटीय क्षेम्न प्रबन्ध योजनाएं (नीचे संदर्भित) तैयार करने समय रिकार्ड किए जाने वाले कारणों में हर मामले में संगोधित की जा सकती हैं लेकिन यह दूरी 100 मीटर नदियों के मामले में या खाड़ी प्रथवा पण्चजलों प्रथवा नदी की चौड़ाई, जो भी कम हो, से कम नही होगी।

 प्रतिषिद्ध किया-कलाप :- निम्नलिखित कियाकलाप तटीय विनियमन परिक्षेत्र के भीतर प्रतिथिद्ध किए जाते हैं, ग्रार्थान् :-

(1) नये उद्योगों की स्थापना तथा मौजूदा उद्योगों का विस्तार, नीधे नटीय नगर भाग से संबंधित या सीधे तटाग्र सुविधाओं की ग्रावश्यकता वाले उद्योगों को छोडकर ;

[PART JI-SEC. 3(ii)]

- (2) भारत सरकार के पर्वावरण और बन मंत्रानग की श्रधिसूचनाओं सं. का.झा. 594 (श्र) तारीख 28 जुलाई, 1989, का.झा. 966 (ग्र), तारीख 27 नवभ्वर, 1989 और का.ति.खा. 1037 (श्र),तारीख 5 दिसम्बर, 1939 की श्रधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट रूप में परिसंग्रटमय पदार्थों का विनिर्माण या हथालना या संग्रहण या व्ययन ;
- (3) भांडारकरणों सहित मत्स्य संसाधन इकाइयों की स्थापना और विस्त.र (भ्रनुज्ञेय क्षेत्रों में हैचरी और प्राष्ठतिक मत्स्य णुष्कन को छोड्कर);
- (4) प्रपशिष्टों और बहिस्तायों के व्ययन के लिए इक.इयों/कार्यविधियों की म्थापना और विस्तार, चल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) प्रधिनियम, 1974 के तहन स्वीक्वति से जल मार्गो में शोधित बहिस्तायों के विसंजन के लिए प्रयेक्षित सुविधाओं को छोड़कर ; तथा स्ट्रोम जल नानों के इकाइयों/क.यंविधियों को छोड़कर ;
- (5) उग्रोगों, नगरों या गहरो और भन्य मानव व्यवस्थापनों से ग्रसाधित भ्रपणिष्ट और बहिम्झावों का निस्सारण । मौजूदा प्रयाओं, यदि हों, को समुचिन गमयावधि , जो इस अधिभूजना की तारीख से तीन वर्ष से अधिक नही होगी, के भांतर घीरे-धीरे समाप्त करने के लिए संबंधित प्राधिकरणों द्वारा स्कीमें कार्यान्पित की जाएंगी;
- (6) भूमि भरने के प्रयोजन के लिए या ग्रन्यथा नगर या शहर के अप-शिष्ट को हम्प करना; मौगूदा प्रथा, यदि कोई हो, को इस ग्राधिसूचना की तारीख से एक समुचित ग्रवधि, जो तीन वर्ष से ग्राधिक नहीं होगी, के भीनर धीरे-घीरे समाप्त कर दिया जाएगा;
- (7) तापीय विद्युत केन्द्रों से राख म्रथवा किली अपग्रिष्ट का डम्प करना;
- (8) भूमि प्रनरुद्धार समुद्र जल के प्राक्वतिक कम को समरूप बाधाओं के साथ मेड़ लगाना या उसमें बाधा डालना, सियाय उनके जो तटीय कटाव के नियंत्रण और जल मार्गो के भनुरक्षण तथा सफाई, चैनलों और परतनों तथा बालू-भित्तियों के लिए ग्रापेक्षित हैं तथा मित्राय ज्वारीय नियंत्रकों, स्ट्रोम जल नालों और लवणता के प्रवेश की रोकथाम और मुद्रु जल पुनः प्रारम्भ के लिए संरचना;
- (9) बालू-चाद्टानों और अवस्तर सामग्री का खनन; उन दुर्लभ खनिजों को छोड़कर जो सी.आर. जैड क्षेत्रों के बाहर उपलब्ध नहीं है;
- (10) उच्च ज्वार रेखा से 200 मीटर के भीतर, 200+ 5000 मीटर टन में मत्स्य संग्रहण या भू-जल का निकालना तथा एंसे प्रयोजनों के लिए उसका लंनिर्माण या यांत्रिकी की झनुमति केवल तब दी जाएगी, जब पेयजल बागवानी, क्रुपि और मत्स्य पालन के लिए सामान्य कुंओं के जरिए हाथ से किया गया हो;
- (11) इस भ्रधिसूचना के ग्रनुबन्ध-1 में विनिर्दिष्ट रूप में पारि-स्थितिकीय से संवेदनणील क्षेत्रों में संनिर्माण कियाकनाप;
- (12) निम्न अवार रेखा और उच्च ज्वार रेखा के बीच कोई संतिर्माण कियाकलाप, सिवाय गोधित बहिस्झावों, प्रार्थाण्टों और मलजल को समुद्र में ले जाने वाली सुविधाओं, शीसन प्रयोजन के लिए समुद्र जल, तेल, गैस और इसी प्रकार की ग्रन्थ पाइप लाइनों को ले जाने की सुविधां और इस ग्रधियूचना के तहत ग्रनुक्षेय कियाकलापों के लिए ग्रनिवार्य सुविधा; और
- (13) वालू टिब्बा, पहाडों प्राक्वतिक विणेषताओं की सजावट ग्रथवा उनमें परिवर्तन करना, जिसके अंसर्गत सुन्दर बनाने, मनोरंजन संबंधी और मन्य प्रयोजनों के लिए भू-वृण्य परिवर्तन भी है, इस ग्रधिसूचना के तहत अनुझेय चीओं को छोड़कर ।

3. धनुझेय क्रियाकतापों का थिनियगन : ग्रन्थ संभी कियाकताप, उनके सिथाय जो उपर पैरा-2 में प्रतिषिद्ध हैं, विम्नानुमार विभियमित किए जाएंगें :-

- (1) तटीय विनियमन क्षेत्र के भीतर किसी किवाकलाप के लिए तभी स्वीइति दी जाएगी, जब तटीय नगर भाग प्रथवा तटाग्र मूचिधाएं अभेधित हों।
- (2) निम्नलिखित कियाकलापों के लिए पर्याधरण और बन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरणीय स्वीक्वति प्रपेक्षित होगी, नामत.-
 - (1) प्रसिरक्षा अपेक्षाओं संबंधी ऐसे निर्माण क्रियाकलाप, जिनके लिए तटाग्र मुद्रिधाएं मानवार्थ हैं (उदाहरणार्थं जलावतरण, जैमी ग्रादि); सिवाय प्रसिरक्षा परि-योजनाओं के यर्पीग्रित संचालन उपकरण. जिनके लिए पृथक प्रणाली का म्रनुसरण किया जाएना। (भाषासीय भवन, कार्यालय भवन, भस्पताल परिसर, कार्यणालाएं, संच लिनात्मक प्रयेक्षाओं की परिभाषा में नही आएंगी, स्रति विशेष मामलों को छोड़कर, और इगलिए सी.आर. जेड. में ग्रामनौर पर इनकी ग्रनुमति नही दी जाएंगी);
 - (2) बग्दरगाह और पस्तन तथा लाइट हाउस, जिनके लिए गटीय नगर भाग क्रावश्यक है, के संवातनात्मक जिर्माण; जैटिया, वार्फ, जहाजी घाट, स्निपवे झादि; झावासीय भवन और कार्यालय भवन, भ्रति विशिष्टि सामरों वो छोड़कर संचालनात्मक कियाकलाप की परियोजना में नही भ्रायेगें और इमलिए इनकी सामान्दर सी. आर. जेंट. में अनुमति नही वो जाती है;
 - (3) ताप धिद्युत संयंत्र (केवल गण्चे माल के परिवहन के लिए, सटाग्र सुविधाएं, वाटर कूलिंग के इन-टेक की सुविधाये तथा शोधित भ्रषणिष्ट जल/कूलिंग बाटर के निपटान के लिए सुहाना; तथा
 - (4) 5 करोड़ रुपये से प्रधिक की लागत वाली सभी भ्रन्य गति-विधियां।
- (3) (1) तटीय राज्य तथा केन्द्र णासित प्रवेणों के प्रणासन इस प्रधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के भीतर प्रपत्न क्षेतों में तटीय क्षेत्र प्रबन्ध योजनायें तैयार करेगें और प्रधिसूचना के प्रनुषंध-1 और 2 में उल्लिखित दिणा-निर्वेणों के प्रनु-सार सी ग्रार जेड क्षेत्रों का घ्रोभनिर्धारण और दर्गीकरण करेगे तथा केन्द्र सरकार के पर्यावरण और वर्न मंत्रालय से प्रनुमोदन प्राप्त करेगें (संसाधनों सहित प्रथवा इनके बिना);
- (2) ऐसी अनुमोदित योजनाओं की रूपरेखा के भीतर उपर पैरा-2 और पैसा 3(2) में शामिल गॉतविशियों के मौतरित्त सी. ग्रार. जेड. के भीतर सभी विकास कार्य और गति-विधियां ग्राधिसूचना के अनुबंध-1 और 2 में दिए यए मार्ग-तिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार, केन्द्र आसिल अदेल अथवा स्थाभीय प्राधिकरण यथास्थिति ढारा {नियमग की आयेगी, जंग
 - (3) उत्तत पैरा 3(3)(1) में उल्लिभिन तटीय क्षेत्र प्रभाष योजनाएं तैयार अंग्र स्वीकुत हाने तक अतरिम अस्ते में, सी.चार.जेड के भीतात सभी किंद्रांस कार्य और गति-विधियां द्वारा इस अधिमूचना के उपबंधों का उल्लापन नहीं किया जाएगा । राज्य सरकारें और केन्द्र शामिल प्रदेश प्रशासन इन विनियमों के पालन को सुनिशिषत करेंगें और यदि किसी प्रकार का उल्लंघन होता है ताँ।

2

3

उसके लिए पर्यावरण (सुरक्षा) प्रधिनियम, 1986 के उपबंधों के तहत कार्रवाई की जायेगी ।

(4) मानीटर करने और प्रदर्शन के लिए प्रक्रिया पर्यावरण और वन भंतालय तथा राज्य संघ शासित सरकारों और राज्य संघ क्षेत्र स्तरों पर ऐने ग्रन्थ प्राधिकरण, जो इस प्रयोजन के लिए पदनामित किए गए हैं, वे ग्रपनी सीमाओं के भीतर इस श्रधितूचना के उपबंधों को मानीटर करने और उनके प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी होंगें ।

> [मं. के-15019/1/84-माई.ए.-3 (वाल्यूम-2)] र. राजामणि, सचिष

> > मनुबंध−I

सटीय क्षेत्र वर्गीकरण भौर विकास नियमन

तटवर्ती नियमन क्षेत्र का वर्गीकरण

6(1) विकास गतिविधियों के विनियमन के लिए भूमि की भोर उच्च ज्वार रेखा के 500 मीटर के मीतर के तटवर्ती भागों को चार श्रेणियों में वर्गीक्वन किया गया है, ग्रार्थान्:---

श्रेणी-1 (सी मार जेड)

- (i) राष्ट्रीय उद्यानों, मैरीन पार्कों, प्रभयारण्यों, आर्राक्षत वनों, अभ्य-जीव वासस्थलों, कच्छ वनस्पनि, मूंगा (प्रवालभित्तियों) मछली ग्रीर ग्रन्थ समुद्री जीवों के प्रजनन क्षेत्र ग्रीर ग्रंडे देने वाली भूमि प्राक्तनिक सुन्दर ऐतिहमिक विरामन वाले प्रनुवंशिक विभिन्नता से सम्पन्न क्षेत्र, पृथ्वी का सापमान बढ़ जाने के फलस्वरूप समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण दूब जाने के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील ग्रीर महत्वपूर्ण क्षेत्र तथा केन्द्र सासिन प्रदेश का तापमान वढ़ जाने के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील ग्रीर महत्वपूर्ण क्षेत्र तथा केन्द्र सरकार या राज्य/केन्द्र शासिन प्रदेश स्वर पर संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर भधिसूचित इस प्रकार के मन्य क्षेत्र ।
- (ii) निम्न ज्वारीय रेखा झौर उच्च ज्वारीय रेखा के भीच नाला क्षेत्र श्रेणी-2 (सी भ्रार जेड-2)

समुद्री किनारों यः उनके नजेदीक तक पहने से ही विकसित क्षेत्र इस प्रयोजन के लिए. ''विकसित क्षेत्र का झाणय नगरीय सीमाओं के झन्दर अधवा कानूनी तौर पर विनिर्दिष्ट झन्य महरी क्षेत्रों में उस क्षेत्र से है, जहां पहले ही काफी निर्माण हो चुका है झौर जहां जलनिकासी झौर पहुंच-मार्ग सथा जन झापूर्ति झौर मुख्य सलजल निकस जैसी झन्य झाधारभूत सुवि-धाएं मुहैया कराई गई है ।

श्रेणी-3 (सी म्रार जेड-3)

वे क्षेत्न जो अपैक्षाइत कांत क्षेत्र हैं और श्रोणी 1 भौर 2 के अन्तर्गत नहीं माने हैं । इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में सटीय क्षेत्र (विकसित घौर भविक-सित) ख्रौर नगरीय सीमाधों के भीलर या कानूनी तौर पर भर्भिनिर्धारित ग्रन्थ सहरी क्षेत्रों के क्षेत्र भाएंगें, जहां पर्याप्त विकास नहीं हुआ है ।

श्रेणी-4 (सी ग्रार जेर-4)

सी धार जेइ1, सी धार जेड-2 झौर सी धार जेड-3 में विर्तिविष्ट क्षेत्रों को छोड़कर ग्रण्डमान ग्रौर निकोबार, लक्ष्यक्षीप तथा छोटे द्वीप तटीय भाग ।

गतिविधियों के नियमन के लिए मानदण्ड

6(2) सटीय भागों की विभन्न श्रेणियों में विकास या निर्माण गसि-विधियों को निम्नलिखिन सापदण्डों के अनुसार राज्य/केन्द्र-णासिन क्षेत्र स्तर पर संबंधित प्राधिकारियों ढारा नियंत्रित किया जाएगा । सी आगर जेड-1

उच्च अवार रेखा के 500 मीटर के भीतर मन्य किसी नए निर्माण की धनुमति नहीं है। 2(XII) के सहस सूचीबद्ध गतिविधियों को छोड़-कर निम्न अवगीय रेखा मौर उच्च ज्वरीय रेखा के बीच किसी भी गति-विधि के निर्माण की मनुमति नहीं दी जाएगी।

मी झार जेड-2

- (1) न तो वर्तमान सड़क (या क्षेत्र के स्तीक्ष्म तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना/मास्टर प्लान में प्रस्ताबित सड़कों) से समुद्र की घोर घौर न ही वर्तमान प्राधिकृत निर्माणों में समुद्र की घोर भवन बनाने की घनुमति दी जाएगी । जहां वर्तमान घौर प्रस्ताबित माणों/वर्तमान प्राधिकृत निर्माणों से भूमि की घ्रोर भवन निर्माण की श्रनुमति दी गई हो यहां एफ एस घाई/एफ एघार के लिए बिद्य-मान मापदण्डां सहित स्थानीय टाउन घौर कंट्रो प्लानिग वि-नियमों का पालन किया जाए।
- (2) विद्यमान एफ एस आई/एफ ए धार मापदण्डों का अनुपालन करने भौर विद्यमान प्रयोग में परिवर्त्त किए बिना प्राधिक्रत भवने के पुनः निर्माण की अनुमनि दी जाएगी ।
- (3) भवनों का अभिकल्प भौर निर्माण स्थानीय वास्सुकला भौर प्राकृत्विक पृथ्यों के श्रेनुरूप होमा चाहिए ।
- पी क्र।र जेड-3
 - (1) उच्च उथार रेखा से 200 मीटर तक के क्षेत्र को ''विकास क्षेत्र नहीं'' माना जाना है झौर इस क्षेत्र के झन्दर किसी भी मरह के निर्माभ की अनुमति नहीं दी जाएगी । लेकिन एफ एस मादे वर्तमान प्लिन्य एरिया प्रौर वर्तमान घनस्य के झन्दर माने यत्र वर्तमान प्राधिक्वत भवनों की मरम्मत को झनुमति होगी । फिर भी इम क्षेत्र में निम्नलिखिल कार्य किए जा सकेंगे :---

कृषि, ब।गथानी, वगीचे, उद्यान, खल के मदान, चरागाहों, बानिकी भौर समुक्ष जल से नमक बनाना ।

- (2) अनुबंध-2 में उल्लिखित दिणा-निर्देशों में निर्धारित शर्मों के अधीन पर्यटकों/भागन्तुकों के लिए अस्थायी भावास के लिए आवास होटल/ममुद्र किनारों पर सैरगाह के निर्माण के लिए उच्च ज्यार रेखा के 200 ग्रीर 500 मीटर के बीच सी ग्रार जड-III से प्राधिनिर्धारित क्षेत्रों में पर्यावरण भीर बन मंत्रालय की पूर्वानुमति से खाली प्लारों के विकास की ग्रनुमति है।
- (3) उच्च ज्यार रेखा से 200 मीटर भीर 500 मीटर के बीच भावास इकाइयों के निर्माण/पुनर्मिण की भनुभति है बशतें कि यह वर्तमान मत्स्य ग्रामों और गौथान्स जैस परम्परागत द्यधि-कारों भीर प्रयोगों की परिधि में भ्राता हो। इस प्रकार के निर्माण/पुनर्निर्माण की मनुमति इस गर्त पर दी जाएगी कि इस तरह के निर्माण की मनुमति इस गर्त पर दी जाएगी कि इस तरह के निर्माण की मुल संख्या वर्तमान इकाहयों की संख्या से घुगने से मधिक नहीं होगी; सभी तलों का माच्छावित क्षेत्र प्लाट के ग्राकार के 33 प्रतिशत से भधिक नहीं होगा ; नि-र्माण की मुल ऊंचाई 9 मीटर से मधिक नहीं होगा ; त्या निर्माण दो संजिल से अधिक नहीं होगा (भूतल मौर एक भोर मंजिल) ।

सी चार जैंड 4

ग्रण्डमान भीर निकोबार द्वीपसमूह

 (1) उच्च ज्यार रेखा के 200 मीटर के भीतर भवन तिर्माण की धनुमति नहीं दी जाएगी ।

- (2) उच्च ज्वार सीमा से 200 तथा 500 मीटर के बीच स्थित भवन (वो तल) निचलातल और प्रथम तल) से मधिक ऊंचाई के नहीं होने चाहिए, कुल आण्छादित क्षेत्र भूमि के टुकड़े का 50 प्रतिशत से ग्रधिक नहीं होना चाहिए तथा निर्माण की कुल ऊंचाई 9 मीटर से प्रधिक नहीं होनी चाहिए।
- (3) भवनों का निर्माण और डिजाइन स्थानीय वास्तुकला तथा इस स्थान के परिदूष्य से मेल खाना चाहिए ।
- (4) ततों भीर तटीय चल की मूंगा चट्टानों तथा बालु को निर्माण या भ्रन्थ कार्यों के उपयोग में नहीं लाना चाहिए ।
- (5) मुंगा चट्टानों में तथा उनके भास-पास तलमार्जन तथा जल के भोतर विस्फोट करने की ग्रनुमति नहीं थी जाना चाहिए ; तथा
- (6) तथापि कुछ द्वीपसमूहों में पर्यायरण और बन मंत्रालय की पूर्वा-मुमति से तटीय भागों को भी सी मार जेड-1 मथवा 2 मथवा 3 श्रेणियों में वर्गीकर% किया जा सकता है और इस प्रकार के नामित भागों में सबंधित श्रेणियों के लिए उपयुक्त विनियम लागू होंगे ।

लक्षद्वीप भौर छोटे बीपसमूह :

- (1) बन निर्माण की अनुमित देने के लिए द्वीपसमूहों के आकार के भ्रनुसार उच्च ज्यार सीमा की दूरी निश्चित करनी चाहिए इस का निर्धारण विशेषकों के परामर्श व पर्यावरण मौर वन मंत्रालय की भनुमति से जल-विज्ञानीय पहलुओं, भूमि कटायों तथा पारिस्थतिकीय संजेदनशीलता सहित स्थानीय पारिस्थितियों की तुलना में विशिष्ट परियोजनाम्रों के लिए उपयोग की आवायकताओं को ध्यान में रखने हुए प्रत्येक द्वीप के लिए किया जाना चाहिए ;
- (2) उच्च ज्यार रेखा के 500 मीटर के भीतर के भवन 2 तल (निचल। तल तथा प्रथम तल) से प्रधिक ऊंचाई के नहीं होने चाहिए । कुल ग्राच्छादित क्षेत्र भूमि के कुकड़े का 50 प्रतिशत से भ्रधिक नहीं होना चाहिए तथा निर्माण की कुल ऊंचाई 9 मीटर से अधिक नहीं होसी चाहिए ।
- (3) भवमों का डिजाइन और निर्माण आसगास के भू-दुश्य तथा स्थानीय वास्तुकला के मनुरूप होना चाहिए ।
- (4) तटों झौर तटीय जल की मूंगा चट्टानों तथा ये। मू को निर्माण कार्यों के उपयोग में नहीं लाना चाहिए ।
- (5) मूंगा चट्टानों में तथा उनके भासपास तल-जलमार्जन तथा जल के भीतर विस्फोट करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- (6) तथापि, कुछ द्वीपसमूहों में पर्यावरण श्रौर वन मंत्रालय की पुर्वानुमति से तटीय भागों को भी सी, आर, जेड-1 ग्रथवा 2 ग्रथवा 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस प्रकार के नामित भागों में संबंधित श्रेणियों के लिए उपयुक्त विनियम लागु होंगे।

अनुबं**ध-I**I

पर्यटकों/दर्णकों के अस्थाई कटने के लिए सी ग्रार जेज-3 के निर्दिष्ट/ क्षेत्रों में पर्यावरण भीर वन मंत्रालय की पूर्वानुमनि से रामुद्र तट सैरगाहों/होटलों के विकास के लिए दिशा-निदण

7(1) पर्यटकों/दर्शकों के अस्थाई कब्जे के लिए सी आर जेड-3 के निर्दिण्ट क्षेत्रों में पर्यावरण और वन नंत्रालय की पूर्वानुमति से समद्रतट सैरगाहों/होटलों का निर्माण निम्नलिखित गतों के प्रधीन होगा :---

- (1) परियोजना प्रस्तावित उच्च ज्यार रेखा से 200 मीटर तक ो (भूमि की श्रोर) तथा निम्न ज्वार ग्रीर उच्च ज्वार सीमा के बीच के क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य (ग्रस्थायी निर्माण झौर कटीली तार अथवा इस प्रकार के अन्य अवरोधकों सहित) नहीं करेगे।
- (2) प्लाट का आकार 0.4 हेक्टेयर से कम नही होना चाहिए भाण्छावित क्षेत्र प्लाट के आकार के 33% प्रर्थात एक एस म्राई 0.33 से मधिक नहीं होना चाहिए । खले केंद्र में उप-युक्त हरियाली से सही तरीके से भू-दूण्य निर्माण किया জ:না মারিए ।
- (3) निर्माण ग्रामपास के भू-वश्य तथा स्थानीय बास्तुकला के ग्रनस्प ष्टोना चाहिए ।
- (4) भवन की कुल ऊचाई 9 मीटर से ग्रधिक नहीं होनी चाहिए ग्रोर भवन दो मंजिलों (भूमि सल ग्रौर प्रथम तल) से अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिए ।
- (5) भूमि जल उच्च ज्यार रेखा से 200 मीटर के ग्रन्थर से नहीं खिया जाएगा, 200-500 मीटर क्षेत्र के भीतर यह केवल केन्द्रीय/राज्य भूमि जल कोर्ड की सहमति से निकाला जा सकता ŧ١
- (6) उच्च ज्वार रेखा के 500 मीटर के भीतर भवन, तरणताल तथा बेसमेंट के बुनियादी ढांचे के प्रलावा रेत निकालने, रेतीले भागों को समयल बनाने या खुदाई करने की भ्रनुमति नहीं दो जानी चाहिए।
- (7) परियोजना क्षेत्र से शोधित बहिस्रायों, ठोम ग्रपशिग्टों, उत्सर्जनों की क्वालिटी और शोर स्तर ग्रादि सक्षम प्राधिकरणों, जिसमें केन्द्रीय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गामिल हैं तथा पर्वावरण (सुरक्षा) श्रधिनियम, 1986 द्वारा निर्धारित मानकों के झनरूप होना चाहिए ।
- (8) बहिसायो मौर ठोस अपणिष्टों के गोधन के लिए आवध्यक प्रबंध किए जाएं। यह मुनिश्चिम किया जाए कि साफन किए गए बहिसावों आरेर ठोम प्रपणिष्टिों को जल या समुद्री किनारों पर न बहायों जाए।
- (9) लोग समुद्री किनारों तक भा सकें, इसके लिए किन्ही को प्लाटों के बीच कम से कम 20 मीटर चौख़ी पट्टी मुहैया कराई जाए और यह मन्तर किसी भी हालत में 500 मीटर से कम नहीं होना चाहिए ;
- (10) यदि परियोजना में बनेतर प्रयोजनों के लिए बन भूमि को उपयोग में लाया जाना हो तो इसके लिए वन (संरक्षण) क्रधिनियम, 1980 के भ्रन्सर्गत मंजूरी लेने की आवश्यकता है। परियोजना के संबंध में लागू अन्य केन्द्रीय भौर राज्य कानुनों का ग्रनु-पालन किया जाना चाहिए : ग्रौर
- (11) राज्य/संघ शासिस क्षेत्र के पर्यटन यिभागों की ग्रनुमनि प्राप्त की जाएगी। ।

7(2) पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्रों में (जैसे मेरीन पार्क, कच्छ यनस्पति, मुंगे की चट्टानें, मळलियों के प्रजनन और अण्डे देने की जगह तथा केन्द्र/राज्य सरकार ढारा भ्रश्निसूचिन मन्य क्षेत्र (समुद्री सैरगाहों/ होटलों के निर्माण की अनुमनि नहीं दी जाएगी ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

(Department of Environment, Forests & Wildlife)

NOTIFICATION UNDER SECTION 3(1) AND SECTION 3(2)(v) OF THE ENVIRONMENT (PROTECTION) ACT, 1986 AND RULE 5(3)(d) OF ENVIRONMENT (PROTECTION) RULES, 1986, DECLARING COASTAL STRETCHES AS COASTAL REGULATION ZONE (CRZ) AND REGULATING ACTIVITIES IN THE CRZ.

New Delhi, the 19th February, 1991

S.O. 114(E).—Whereas a Notification under Section 3(1) and Section 3(2)(v) of the Environment (Protection) Act, 1986, inviting objections against the declaration of Coastal Stretches as Coastal Regulation Zone (CRZ) and imposing restrictions on industries, operations and processes in the CRZ was published vide S.O. No. 944 (E) dated 15th December, 1990.

And whereas all objections received have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exerci e of the powers conferred by Clause (d) of sub-rule (3) of Rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, and all other powers vesting in its behalf, the Central Government hereby declares the coastal stretches of seas, bays, estuaries, creeks, rivers and backwaters which are influenced by tidal action (in the landward side) upto 500 metres from the High Tide Line (HTL) and the land between the Low Tide Line (LTL) and the HTL as Coastal Regulation Zone; and imposes with effect from the date of this Notification, the following restrictions on the setting up and expansion of industries. operations or processes etc. in the said Coastal Regulation Zone (CRZ). For purposes of this Notification, the High (Tide Line (HTL) will be defined as the line upto which the highest high tide reaches at spring tides,

Note.—The distance from the High Tide Line (HTL) to which the proposed regulations will apply in the case of rivers, creeks and backwatere may be modified on a case by case basis for reatons to be recorded while preparing the Coastal Zone Management Plans (referred to below); however, this distance shall not be less than 100 metre for the width of the creek, river or backwater whichever is less.

2. Prohibited Activities :

The following activities are declared as prohibited within the Coastal Regulation Zone, namely :

- (i) setting up of new indu trics and expansion of existing industries, except those directly related to water front or directly needing foreshore facilities;
- (ii) manufacture or handling or storage or disposal of hazardous substances as specified in the Notifications of the Government of Indla in the Ministry of Environment & Foreste No. S.O. \$94(E) dated 28th July, 1989, S.O. 966(E) dated 27th November,

1989 and GSR 1037(E) dated 5th December, 1989;

- (iii) Setting up and expansion of fish processing units including warehousing (excluding hatchery and natural fish drying in permitted areas);
- (iv) setting up and expansion of units mechanisms for disposal of waster and effluents, except facilities required for discharging treated effluents into the water course with approval under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974; and except for storm water drains;
- (v) di charge of untreated wastes and effluents from industries, cities or towns and other human settlements. Schemes shall be implemented by the concerned authorities for phasing out the existing practices, if any, within a reasonable time period not exceeding three years from the date of this notification;
- (vi) dumping of city or town waste for the purposes of landfilling or otherwise ; the existing practice, if any, shall be phased out within a reasonable time not exceeding three years from the date of this Notification;
- (vii) dumping of ash or any wastes from the mal power stations ;
- (viii) land reclamation, bunding or disturbing the natural course of 'ca water with similar obstructions, except those required for control of coastal crosion and maintenance or cleasing of waterways, channels and ports and for prevention of sandbars and also except for tidal regulators, storm water drains and structures for prevention of salinity ingress and for sweet water recharge;
- (ix) mining of cands, rocks and other substrata materials, except those rare minerals not available outside the CRZ areas ;
- (x) harvesting or drawal of ground water and construction of mechanisms therefor within 200 m of HTL; in the 200 m to 500 m zone it shall be permitted only when done manually through ordinary wells for drinking, horticulture, agriculture and fi heries;
- (xi) construction activities in ecologically sensitive areas as specified in Annexure-I of this Notification ;
- (xii) any construction activity between the Low Tide Line and High Tide Line except facilities for carrying treated effluents and waste water discharges into the sea, facilities for carrying sea water for cooling purposes, oil, gas and similar pipelines and facilities estential for activities permitted under this Notification ; and
- (xiii) dressing or altering of sand dunes, hills, natural features including landscape changes

for beautification, recreational and other such purpose; except as permissible under this Notification.

3. Regulation of Permissible Activities :

All other activities, except those prohibited in para 2 above, will be regulated a_8 under :

- (1) Clearance shall be given for any activity within the Coastal Regulation Zone only if it requires water front and foreshore facilities.
- (2) The following activities will require environmental clearance from the Ministry of Environment & Forests, Government of India, namely :
 - (i) Construction activities related to Defence requirements for which foreshore facilities are essential (e.g. slipways, jetties etc.); except for classified operational component of defence projects for which a separate procedure shall be followed. (Residential buildings, office buildings, hospital complexes, workshops shall not come within the definition of operational requirements except in very special cases and hence shall not normally be permitted in the CRZ);
 - (ii) Operational constructions for ports and harbours and light houses requiring water frontage; jettics wharves, quays, slipways etc. (Residential buildings & office buildings shall not come within the definition of operational activities except in very special cases and hence shall not normally be permitted in the CRZ);
- (iii) Thermal power plants (only foreshore facilities for transport of raw materials facilities for in-take of cooling water and outfall for discharge of treated waste water cooling water); and
- (iv) All other activities with investment exceeding rupees five crores.
- (3) (i) The coastal States and Union Territory Administrations shall prepare, within a period of one year from the date of this Notification. Coastal Zone Management Plans identifying and classifying the CRZ areas within their respective territories in accordance with the guidelines given in Annexures-I and II of the Notification and obtain approval (with or without modifications) of the Central Government in the Ministry of Environment & Forests;
 - (ii) Within the framework of such approved plans, all development and activities within the CRZ other than those covered in para 2 and para 3(2) above shall be regulated by the State Government, Union Territory Administration or the local authority as the case may be in accordance with the guidelines given in Annexures-I and II of the Notification; and

(iii) In the interim period till the Coastal Zone Management Plans mentioned in para 3(3)(i) above are prepared and approved, all developments and activities within the CRZ shall not violate the provisions of this Notification. State Governments and Union Territory Administrations shall ensure adherence to these regulations and violations, if any, shall be subject to the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986.

4. Procedure for monitoring and enforcement :

The Ministry of Environment & Forests and the Government of State or Union Territory and such other authorities at the State or Union Territory levels, as may be designated for this purpose, shall be responsible for monitoring and enforcement of the provisions of this notification within their respective jurisdictions.

[N. K-15019]1[84-IA-III (Vol. II)] R. RAJAMANI, Secy.

ANNEXURE-1

COASTAL AREA CLASSIFICATION AND DEVELOPMENT REGULATIONS

Classification of Coastal Regulation Zone :

6(1) For regulating development activities, the coastal stretches within 500 metres of High Tide Line of the landward side are classified into four categories, namely :

- Category I (CRZ-T) :
 - (i) Areas that are ecologically sensitive and important, such as national parks/marine parks, sanctuaries, reserve forests, wildlife habitats, mangroves, corals/coral reefs, areas close to breeding and spawning grounds of fish and other marine life, areas of outstanding natural beauty/historical/heritage areas, areas rich in genetic diversity, areas likely to be inundated due to rise in sea level consequent upon global warming and such other areas as may be declared by the Central Government or the concerned authorities at the State/Union Territory level from time to time.
 - (ii) Area between the Low Tide Line and the High Tide Line.

Category-If (CRZ-II):

The atea: that have already been developed upto or close to the shore-line. For this purpose, "developed area" is referred to as that area within the municipal limits or in other legally designated urban areas which is already substantially built up and which has been provided with drainage and approach roads and other infrastructural facilities, such as water supply and sewerage mains.

Category-III (CRZ-III) :

Areas that are relatively undisturbed and those which do not belong to either Category-I or II. These

will include coastal zone in the rural areas (developed and undeveloped) and also areas within Municipal limits or in other legally designated urban areas which are not substantially built up.

Category-IV (CRZ-IV)

Coastal stretches in the Andaman & Nicobar, Lakshadweep and small islands except those designated as CRZ-I, CRZ-II or CRZ-III.

Norms for Regulation of Activities.

6(2) The development or construction activities in different categories of CRZ areas shall be regulated by the concerned authorities at the State Union Territory level, in accordance with the following norms:

CRZ-I

No new construction shall be permitted within 500 metres of the High Tide Line. No construction activity, except as listed under 2(xii), will be permitted between the Low Tide Line and the High Tide Line.

CRZ-II

- (i) Buildings shall be permitted neither on the seaward side of the existing road (or roads proposed in the approved Coastal Zone Management Plan of the area) nor on seaward side of existing authorised structures. Buildings permitted on the landward side of the existing and proposed roads existing authorised structures shall be subject to the existing local Town and Country Planning Regulations including the existing norms of FSI FAR.
- (ii) Reconstruction of the authorised buildings to be permitted subject with the existing FSI|FAR norms and without change in the existing use.
- (iii) The design and construction of buildings shall be consistent with the surrounding landscape and local architectural style.

CRZ-III

- (i) The area upto 200 metres from the High Tide Line is to be earmarked as 'No Development Zone'. No construction shall be permitted within this zone except for repairs of existing authorised structures not exceeding existing FSI, existing plinth area and existing density. However, the following uses may be permissible in this zoneagriculture, horticulture, gardens, pastures, parks, playfields, forestry and salt manufacture from sea water.
- (ii) Development of vacant plots between 200 and 500 metres of High Tide Line in designated areas of CRZ-III with prior approval of MEF permitted for construction of hotels|beach resorts for temporary occupation of tourists|visitors subject to the conditions as stipulated in the guidelines at Annexure-II.

(jii) Construction/reconstruction of dwelling units between 200 and 500 metres of the High Tide Line permitted so long it is within the arubit of traditional rights and customary uses such as existing fishing villages and goathans. Building permission for such construction/reconstruction will be subject to the conditions that the total number of dwelling units shall not be more than twice the number of existing units; total covered area on all floors shall not exceed 33 per cent of the plot size; the overall height of construction shall not exceed 9 metres and construction shall not be more than 2 floors

J. _____

(iv) Reconstruction alterations of an existing authorised building permitted subject to (i) to (iii) above.

(ground floor plus one floor).

CRZ-IV

Andaman & Nicobar Islands :

- (i) No new construction of buildings shall be permitted within 200 metres of the HTL;
- (ii) The buildings between 200 and 500 metres from the High Tide Line shall not have more than 2 floors (ground floor and 1st floor), the total covered area on all floors shall not be more than 50 per cent of the plot size and the total height of construction shall not exceed 9 metres;
- (iii) The design and construction of buildings shall be consistent with the surrounding landscope and local architectural style.
- (iv) Corals and sand from the beaches and coastal waters shall not be used for construction and other purposes :
 - (v) Dredging and underwater blasting in and around coral formations shall not be permitted; and
- (vi) However, in some of the islands, coastal stretches may also be classified into categories CRZ-I or Id or III, with the prior approval of Ministry of Environment and Forests and in such designated stretches, the appropriate regulations given for respective Categories shall apply.

Lakshadween and small Islands :

- (i) For permitting construction of buildings, the distance from the High Tide Line shall be decided depending on the size of the islands. This shall be laid down for each island, in consultation with the experts and with approval of the Ministry of Environment & Forests, keeping in view the land use requirements for specific purposes vis-a-vis local conditions including hydrological aspects erosion and ecological sensitivity;
- (ii) The buildings within 500 metres from the HTL shall not have more than 2 floors (ground floor and 1st floor), the total covered area on all floors shall not be more than

50 per cent of the plot size and the total height of construction shall not exceed 9 metres;

- (iii) The design and construction of buildings shall be consistent with the surrounding landscape and local architectural style.
- (iv) Corals and sand from the beaches and coastal waters shall not be used for construction and other purposes;
- (v) Dredging and underwater blasting in and around coral formations shall not be permitted; and
- (vi) However, in some of the islands, coastal stretches may also be classified into categories CRZ-I or II or III, with the prior approval of Ministry of Environment & Forests and in such designated stretches, the appropriate regulations given for respective Categories shall apply.

Lakshadweep and small Islands :

- (i) For permitting construction of buildings, the distance from the High Tide Line shall be decided depending on the size of the islands. This shall be laid down for each island, in consultation with the experts and with approval of the Ministry of Environment & Forsts, keeping in view the land use requirements for specific purposes vis-a-vis local conditions including hydrological aspects, erosion and ecological sensitivity;
- (ii) The buildings within 500 metres from the HTL shall not have more than 2 floors (ground floor and 1st floor), the total covered area on all floors shall not be more than 50 per cent of the plot size and the total height of construction shall not exceed 9 metres;
- (iii) The design and construction of buildings shall be consistent with the surrounding landscape and local architectural style.
- (iv) Corals and sand from the beaches and constal waters, shall not be used for construction and other purposes.
- (v) Dredging and under water blasting in and around lagoons and coral formations shall not be permitted; and

(vi) However, in some of the Islands, coastal stretches may also be classified into categories CRZ-1 or 41 or 111 with prior approval of the Ministry of Environment & Forests. In such designated stretches the appropriate regulations given for respective categories shall apply.

ANNEXURE-II

GUIDELINES FOR DEVELOPMENT OF BEACH RESORTS|HOTELS IN THE DESIGNATED AREAS OF CRZ-III FOR TEMPORARY OCCU-PATION OF TOURIST|VISITORS. WITH PRIOR APPROVAL OF THE MINISTRY OF ENVIRON-MENT & FORESTS

7(1) Construction of beach resorts hotels with prior approval of MEF in the designated areas of CRZ-III for temporary occupation of tourists visitors shall be subject to the following conditions :

- (i) The project proponents shall not undertake any construction (including temporary contructions and fencing or such other barriers) within 200 metres (in the landward side) from the High Tide Line and within the area between the Low Tide and High Tide Line;
- (ii) The total plot size shall not be less than 0.4 hectares and the total covered area on all floors shall not exceed 33 per cent of the plot size i.e. the FSI shall not exceed 0.33. The open area shall be suitably landscaped with appropriate vegetal cover;
- (iii) The construction shall be consistent with the surrounding landscape and local architectural style;
- (iv) (The overall height of construction upto the highest ridge of the roof, shall not exceed 9 metres and the construction shall not be more than 2 floors (ground floor plus one upper floor);
- (v) Ground water shall not be tapped within 200 m of the HTL; within the 200 metre-500 metre zone it can be tapped only with the concurrence of the Central State Ground Water Board;
- (vi) Fxtraction of sand. levelling or digging of of sandy stretches except for structural foundation of building, swimming pool shall not

be permitted within 500 metres of the High Tide Line;

- (vii) The quality of treated effluents, solid wastes, emissions and noise levels etc. from the project area must conform to the standards laid down by the competent authorities including the Central State Pollution Control Board and under the Environment (Protection) Act, 1986;
- (viii) Necessary arrangements for the treatment of the effluents and solid wastes must be made. It must be ensured that the untreated effluents and solid wastes are not discharged into the water or on the beach; and no effluent|solid waste shall be discharged on the beach;
- (ix) To allow public access to the beach, atleast a gap of 20 metres width shall be provided

between any two hotels beach resorts; and in no case shall gaps be less than 500 metres apart; and

- (x) If the project involves diversion of forest land for non-forest purposes, clearance as required under the Forest (Conservation), Act, 1980 shall be obtained. The requirements of other Central and State laws as applicable to the project shall be met with.
- (xi) Approval of the State|Union Territory Tourism Department shall be obtained.

7(2) In ecologically sensitive areas (such as marine parks, mangroves, coral reefs, breeding and spawning grounds of fish, wildlife habitats and such other areas as may be notified by the Central|State Government| Union Territories) construction of beach resorts|hotels shall not be permitted.

45? GI/91-2